बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि0, पटना
(वित्त विभाग का उपक्रम)

संoसंo-बिoराoशिoविoनिo(स्थाo)-08/2018-**468** दिनांक **01.11.2018**

आदेश

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिo, पटना में कम्पनी सेक्रेटरी के संविदा अधारित पद पर चयनित अभ्यर्थी की अर्हता की जाँच हेतु गठित समिति के जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत आदेश पारित किया जाता है

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिo, पटना में संविदा आधारित पदों पर नियोजन हेतु दिनांक 26.06.2018 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर कुल 10 कोटि के पदों (कुल स्वीकृत पदों की संख्या-12) यथा, General Manager (Operatations), Manager (Operatiosns), Assistant Manager (Operations), IT Manager, Company Secertary, Legal Advisor, Manager (Accounts), Executive Assistant, Assistant Administration एवं Computer Operator-cum-Typist संविदा पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे ।

2. उक्त विज्ञापन में क्रमांक-5 पर कम्पनी सेक्रेटरी के एक अनारक्षित रिक्त एवं स्वीकृत पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें Minimum Post Qualification Experience- 8 Years, Essential Qualification- (1) Associate Member (ACS) of The Institute of Company Secretaries of India (ICSI), (2) Proven Experience in handling company matters independently for at least 5 years एवं Desirable Qualification-Fellow Member (FCS) of The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) विहित था । विज्ञापन मे उक्त अर्हता की गणना हेतु Cut-off Date 1st July, 2018 निर्धारित किया गया था । निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की Shortlisting कर दिनांक 22.09.2018 को साक्षात्कार का आयोजन प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में किया गया था ।

3. निगम में कम्पनी सेक्रेटरी के पद हेतु आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि तक कुल 7 आवदेन प्राप्त हुए थे, जिनमें से Shortlisting के आधार पर चार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए दिनांक 22.09.2018 को उपस्थित होने की सूचना भेजी गयी थी, जिसमें से मात्र 2 अभ्यर्थी यथा, **श्रीमती आराधना सिंह (CSC/0002052) एवं श्री अनंत कुमार सिंह (CSC/0003646)** ही उपस्थित हुए थे । साक्षात्कार के आधार पर श्रीमती आराधना सिंह का **चयन** कम्पनी सेक्रेटरी के एक रिक्त एवं स्वीकृत पद पर संविदा के आधार पर किया गया था तथा श्री अनंत कुमार सिंह को **Waitlist-1** पर रखा गया था । चयनित अभ्यर्थी आराधना सिंह को निगम के पत्रांक-BSEFCL(Est)-08/2018-299/5 दिनांक 26.09.2018 द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र भेजते हुए दिनांक 29.10.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निगम कार्यालय में योगदान देने का आदेश दिया गया था ।

4. तदुपरांत श्री अनंत कुमार सिंह, **Waitlist-1** अभ्यर्थी से दिनांक 02.10.2018 को एक ईमेल निगम को प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेखित था कि, कम्पनी सेक्रेटरी पद के लिए Post Qualification Experience की अर्हता आठ वर्ष विज्ञापन में निर्धारित है तथा कम्पनी सेक्रेटरी पद के लिए Institute of Company Secretary of India की सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से ही अर्हता की गिनती की जाती है । श्री सिंह ने चयनित अभ्यर्थी श्रीमती आराधना सिंह के Post Qualification Experience का सत्यापन इस आधार पर करने का अनुरोध किया था । उक्त अनुरोध के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-325 दिनाक 09.10.2018 द्वारा Membership Section, Institute of Company Secretary of India, New Delhi से इस बिन्दु पर मार्गदर्शन की मांग की गई । Director-Membership, CSBF & Co-ordination, Institute of Company Secretary of India, New Delhi ने अपने पत्रांक-00 दिनांक 17.10.2018 के द्वारा सूचित किया है कि ***"Post qualification experience shall be counted from date of acquiring membership of the ICSI (i.e. from the date of allotment of ACS number to the member concerned)"***

5. वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत मामले की समीक्षा कर अनुशंसा समर्पित करने हेतु निगम के पदाधिकारियों की समिति निम्न प्रकार से गठित की गयी :-

1. श्री यशस्पति मिश्र,
   महाप्रबंधक (प्रशासन),
   बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, पटना
2. श्रीमती विद्या कुमारी,
   सहायक प्रबंधक (योजना)
   बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, पटना
3. सुश्री दीपाली,
   सहायक प्रबंधक (योजना)
   बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, पटना

उक्त गठित समिति को निगम के पत्रांक-बि०रा०शि०वि०नि०(स्था०)-08/2018-427 दिनांक 25.10.2018 द्वारा 24 घंटे के अन्दर प्रस्तुत मामले की समीक्षा कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

6. उपरोक्त गठित त्रिसदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन पत्रांक-बि०रा०शि०वि०नि०(स्था०)-08/2018-428 दिनांक 26.10.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया गया, जिसका अवलोकन किया । श्री सिंह से श्रीमती आराधना सिंह, चयनित अभ्यर्थी के Post Qualification Experience की जाँच समिति द्वारा श्रीमती आराधना सिंह के द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों से की गई तो पाया गया कि श्रीमती सिंह ने कम्पनी सेक्रेटरी का Final Examination March, 2010 में उत्तीर्ण किया है, जबकि उन्हें Institute of Company Secretary of India का Membership December, 2010 में प्राप्त हुआ है । श्रीमती सिंह के द्वारा कम्पनी सेक्रेटरी के Final Examination के उत्तीर्ण की तिथि मार्च, 2010 से Post Qualification Experience के लिए निर्धारित 8 वर्ष के अनुभव की गणना करने पर उनका अनुभव विज्ञापन में निर्धारित 8 वर्ष पूरा हो जाता है, किन्तु Institute of Company Secretary of India का Membership ग्रहण करने की तिथि दिसम्बर, 2010 से गणना करने पर उनका Post Qualification Experience $7\frac{1}{2}$ (साढ़े सात वर्ष) ही होता है, जो कम्पनी सेक्रेटरी के पद के लिए विज्ञापन में विहित Post Qualification Experience 8 वर्ष से कम है । समिति ने पाया कि वर्णित स्थिति में इस बिन्दु पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु निगम के पत्रांक-325 दिनांक 09.10.2018 के द्वारा Membership Section, Institute of Company Secretary of India, New Delhi से अनुरोध किया गया । Director-Membership, CSBF & Co-ordination, Institute of Company Secretary of India, New Delhi ने अपने पत्रांक-00 दिनांक 17.10.2018 के द्वारा सूचित किया कि ***"Post qualification experience shall be counted from date of acquiring membership of the ICSI (i.e. from the date of allotment of ACS number to the member concerned)"***

7. Director-Membership, CSBF & Co-ordination, Institute of Company Secretary of India, New Delhi के पत्रांक-00 दिनांक 17.10.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी सेक्रेटरी के पद के लिए Post Qualification Experience की गणना Institute of Company Secretary of India के Membership ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी, न कि कम्पनी सेक्रेटरी के Final Examination के उत्तीर्ण करने की तिथि से ।

8. समिति ने वर्णित तथ्यों के आलोक में स्पष्ट किया है कि श्रीमती आराधना सिंह कम्पनी सेक्रेटरी के लिए चयनित अभ्यर्थी निगम के विज्ञापन में विहित 8 वर्षो के Post Qualification Experience धारित नहीं करने के कारण इनका चयन उक्त पद के लिए नहीं किया जा सकता है तथा इनके चयन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी ।

9. समिति ने अपने जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया है कि कम्पनी सेक्रेटरी पद के लिए कुल 7 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें निर्धारित अर्हता के अनुरुप मात्र 4 अभ्यर्थियों को सुयोग्य पाते हुए Shortlist कर साक्षात्कार के लिए सूचना दी गई थी । साक्षात्कार में मात्र 2 अभ्यर्थी यथा, श्रीमती आराधना सिंह (CSC/0002052) एवं श्री अनंत कुमार सिंह (CSC/0003646) ही उपस्थित हुए थे, जिसमें से Institute of Company Secretary of India, New Delhi के पत्रांक-शून्य दिनांक 17.10.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में श्रीमती आराधना सिंह, चयनित अभ्यर्थी के संदर्भ में स्पष्ट हुआ था कि उन्हें विहित 8 वर्षो का Post Qualification Experience प्राप्त नहीं है, फलस्वरुप ये अर्हता प्राप्त सुयोग्य

अभ्यर्थी नहीं हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में मात्र एक ही आवेदक श्री अनंत कुमार सिंह (CSC/0003646) जिन्हें Waitlist-1 पर रखा गया है, चयन हेतु अवशेष रह जाते है तथा एक मात्र सुयोग्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में अवशेष रह जाने के कारण इसे स्वस्थ्य एवं प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती है । उपरोक्त तथ्यों एवं त्रिस्दस्यीय जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुये एक मात्र सुयोग्य अभ्यर्थी संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अवशेष रह जाने के कारण इसे स्वस्थ्य एवं प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती है । अधोहस्ताक्षरी का मत है कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का सर्वथा अभाव है ।

10. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना में विभिन्न संविदा आधारित पदों पर नियोजन हेतु दिनांक 26.06.2018 को प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका-8 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ***"Decision of the Bihar State Education Finance Corporation Limited will be final and binding on the candidates. The Corporation reserves the right to cancel any or all positions mentioned, without assigning reasons."***

अतः बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० में विभिन्न संविदा आधारित विज्ञापित पदों में से **मात्र कम्पनी सेक्रेटरी** के एक रिक्त पद पर नियोजन हेतु दिनांक 26.06.2018 को निगम द्वारा प्रकाशित विज्ञापन अंश को रद्द किया जाता है । दिनांक 26.06.2018 को निगम के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में कम्पनी सेक्रेटरी के पद को छोड़कर शेष अन्य पदों के विज्ञापन अंश को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

ह0/-

(जयन्त कुमार सिंह)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, पटना

ज्ञापांक- बि०रा०शि०वि०नि०(स्था०)-08/2018-468 **पटना, दिनांक-01.11.2018**

प्रतिलिपिः- श्रीमती आराधना सिंह (CSC/0002052), Vivekanda Apartment 2, First Floor, Dr Umesh Chandra Das Road, Near Tetultalla Kolkata, West Bengal-700058 एवं श्री अनंत कुमार सिंह (CSC/0003646), S/o- Shri Ram Chandra Singh, House No. 95-H, Pocket-A-2, DDA LIG FLAT, Mayur Vihar Phase-3, New Delhi-110096 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः- श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः- महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

1/11/2018

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक